

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल-462 003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411-12
(An ISO 9001:2015 Certified Office)

क्रमांक 235

/प्र.अ./ मोनि/लोस्वायांवि/2018

भोपाल, दिनांक : 10/7/18

// कार्यालयीन आदेश //

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका-2013 की कंडिका क्रमांक-12.4 के अनुक्रम में परिशिष्ट-7 के अनुसार पेयजल व्यवस्था हेतु सोर्स फाइंडिंग कमेटी (Source Finding Committee) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|
| 1 | संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री | - | अध्यक्ष |
| 2 | संबंधित खण्ड के कार्यपालन यंत्री | - | सदस्य सचिव |
| 3 | संबंधित खण्ड के भूजलविद् | - | सदस्य |
| 4 | संबंधित उपखण्ड के सहायक यंत्री | - | सदस्य |

उक्त समिति विद्यमान योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं की क्रियाशीलता / प्रदर्शन (Functioning / Performance) की समीक्षा करेगी। साथ ही नवीन योजनाओं का अनुमोदन भी इस समिति द्वारा किया जावेगा, तदुपरांत ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

9.7.18

(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 6061 / प्र.अ./ मोनि/लोस्वायांवि/2018
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक : 10/7/18

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, चतुर्थ तल, लोधी रोड, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि समस्त सहायक यंत्रियों को उक्त समिति के गठन की सूचना देवें।
6. आदेश नस्ती

9.7.18

प्रमुख अभियंता